श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 26 मार्च, 1985

सं. ओ. वि./पानीपत/91-83/12401.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. अग्रवाल यार्न एण्ड फैबरीकस प्रा० लि० कुंजपुरा रोड, पानीपत, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित, औद्यौगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं, अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या अनुबन्ध–ए में दर्शाए गए श्रमिकों की सेवाओं का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो किस राहत के हकदार हैं ।

अनुबन्ध–ए

श्रमिक का नाम	पिता का नाम
सर्वश्री—	सर्वश्री—
1. ईश्वर	धना राम
2. प्रदीप	तारा चन्द
3. चन्द्र	पूर्ण सिंह
4. कांमता	महादेव
5. राजिन्द्र	रती राम
6. ईश्वर	
7. सुभाष	हरी चन्द
8. सुशील	जोगी राम
9. नरेन्द्र	रामायण
10 सुमन चन्द्र	नाथी राम
11. सूरज पाल	देवी लाल
12. सतबीर	ईश्वर सिंह
13. तारा चन्द	विजय राम
14. वेद प्रकाश	सूरज मल
15. छेदी लाल	बद्री
16. सुभाष	हरि सिंह
17. कृष्ण	
18. दुर्गा प्रसाद	
19. सिकन्द	माधो राम
20. धर्मवी	
21. इन्द्र सिंह	
22. रोहतास	
23. गोवर्धन	
24. प्रेम सिंह	

एम० सेठ,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार.

श्रम तथा रोजगार विभाग ।